

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ आर्वा,
मुजिरका, नई दिल्ली - 110067.

संविदा सं. C/COM/R/2017/01423

दिनांक. 01.12.2017

सेवा में,
श्री निधियचन्द लाल,

विषय- आयोग में प्राप्त आपके आर.टी.आई. आवेदन/अपील के संबंध में सूचना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपका गैरदिनांकित आर.टी.आई. आवेदन/अपील जो कि दिनांक 23.11.2017 को केन्द्रीय सूचना आयोग में डायरेक्ट हुआ (डायरी सं. 179047) तथा आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में दिनांक 27.11.2017 को प्राप्त हुआ, के संदर्भ में संदर्भ में अवगत कराया जाना है कि यदि किसी लोक प्रतिकरणा/विभाग द्वारा निर्धारित अवधि में कोई सूचना प्रदान नहीं की जाती है अथवा प्रदान की गई सूचना से संतुष्ट न हो तो अगले 30 दिनों के अंदर उसी कार्यालय/विभाग के केन्द्रीय जल सूचना अधिकारी से वरीय अधिकारी जो प्रथम अपील/अपील के रूप में पदनामित है, के समक्ष प्रथम अपील दाखिल करें । अगर प्रथम अपील/अपील द्वारा भी कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जाती है या प्रथम अपील/अपील अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश से भी आप संतुष्ट न हो तो केन्द्रीय सूचना आयोग में द्वितीय अपील दाखिल कर सकते हैं । द्वितीय अपील प्रपत्र के साथ लोक प्रतिकरण से अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किए गए पत्राचार की छायाप्रतियाँ (स्वअभिप्रेक्षागत) संलग्न करना आवश्यक होता है, जिसमें सूचना प्राप्त हेतु आर.टी.आई. आवेदन, केन्द्रीय जल सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना (यदि सूचना प्रदान की गई हो), प्रथम अपील आवेदन, प्रथम अपील/अपील अधिकारी का आदेश (यदि दिया गया हो), परचालन पत्र की प्रति के साथ सभी संलग्नकों का क्रमांक (index) सूची भी संलग्न करना आवश्यक है । सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील दाखिल करने हेतु कोई शुल्क देय नहीं है ।

सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत आयोग को संबंधित प्रपत्र के माध्यम से स्पष्ट कारण बताते हुए शिकायत दर्ज की जा सकती है । शिकायत पत्र के साथ भी लोक प्रतिकरण से अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किए गए पत्राचार की छायाप्रतियाँ संलग्न करना आवश्यक है ।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील श्री आर. के. सिंह, अपर सचिव एवं प्रथम अपील/अपील अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ आर्वा, मुजिरका, नई दिल्ली- 110067 पर की जा सकती है ।

(ए. के. शर्मा)
केन्द्रीय जल सूचना अधिकारी,
आर.टी.आई. सेल,

30/11/17
24/11/17

